

[2019] 15 एस. सी. आर 990

बिहार राज्य और अन्य

बनाम

देवेन्द्र शर्मा

(सिविल अपील सं. 7879/2019)

अक्टूबर 17, 2019

[एल. नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानून:नियुक्तियाँ-अवैध नियुक्तियाँ - वेतन का अधिकार या पेंशन और अन्य मौद्रिक लाभों के परिणामी अधिकार-अभिनिर्धारित किया गया:वेतन, पेंशन और अन्य सेवा लाभों के अधिकार लोक सेवा में पूरी तरह से वैधानिक प्रकृति के होते हैं-ये अधिकार, पद पर वैध और कानूनी नियुक्ति से उत्पन्न होते हैं-एक बार जब यह पाया जाता है कि नियुक्ति अवैध है और कानून की नजर में गैर कानूनी है और अस्तित्व में नहीं है, तो वेतन या पेंशन और अन्य मौद्रिक लाभों के परिणामी अधिकारों के लिए कोई वैधानिक पात्रता उत्पन्न नहीं हो सकती है-तथ्यों पर, सरकार के स्वास्थ्य विभाग में द्वितीय या चतुर्थ श्रेणी के पदों के खिलाफ नियुक्तियों से संबंधित मामले जिसमें समिति की रिपोर्ट में नियुक्तियों को अनियमित नियुक्तियां, अवैध नियुक्तियां और जाली पत्रों पर नियुक्तियां माना गया था और उसके आधार पर उन उम्मीदवारों के खिलाफ समाप्ति आदेश पारित किए गए थे जिन्होंने जाली दस्तावेजों के आधार पर रोजगार प्राप्त किया था और जिनकी नियुक्तियां अवैध थीं और अनियमित नियुक्तियों को जारी रखने की अनुमति दी गई थी-इसके खिलाफ रिट याचिका में, समिति की रिपोर्ट खारिज कर कर्मचारियों का पुनः बहाली का निर्देश दिया गया था जहाँ तक अनियमित नियुक्तियों का संबंध है, यह नहीं कहा जा सकता है कि कर्मचारियों

की नियुक्ति अनियमित नियुक्तियाँ थीं लेकिन अवैध नियुक्तियाँ हैं-क्योंकि ऐसी नियुक्तियाँ बिना किसी स्वीकृत पद के की गई थीं, बिना किसी विज्ञापन के सभी योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने और सार्वजनिक रोजगार पाने का अवसर दिया गया था और भर्ती की कोई विधि नहीं थी-ऐसी नियुक्तियाँ पिछले दरवाजे से की गई। नियुक्तियाँ पिछले दरवाजे से प्रविष्टियाँ थीं, भाई-भतीजावाद और पक्षपात का एक कार्य और इस प्रकार किसी भी न्यायिक मानकों से अनियमित नियुक्तियाँ नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से मनमाना प्रक्रिया में अवैध नियुक्तियाँ हैं-इसके अलावा, चूंकि कर्मचारी लगभग 25 वर्षों से काम कर रहे हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आदेश को रद्द करने और उन्हें उनकी सेवाएँ नियमित करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, ताकि वे पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार बन सकें।

राज्य द्वारा अपीलों को अनुमति देकर और उम्मीदवारों द्वारा अपीलों को खारिज करके, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित किया गया: 1.1 राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी श्रेणियों में नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के संदर्भ में कोई वैधानिक नियम नहीं है। नियुक्ति का मामला कार्यकारी निर्देशों द्वारा विनियमित किया जाता है। बिहार स्वास्थ्य नियमावली का पहला अध्याय राज्य के स्वास्थ्य विभाग के संगठन और कार्यों से संबंधित है। यह बताया गया कि 1 मई, 1953 से, स्वास्थ्य सेवा निदेशक के अधीन चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों का एक विभाग में विलय/निर्दिष्ट किया गया है। यह बताया गया कि स्वास्थ्य सेवा निदेशक विभाग में सभी गैर-राजपत्रित जिनमें अधीनस्थ चिकित्सकीय सेवा भी शामिल है कि नियुक्तियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकरण है। निदेशक की सहायता के लिए, एक अतिरिक्त निदेशक एवं तीन उप-निदेशकों के साथ अल्प राजपत्रित अधिकारी एवं सहायक स्वास्थ्य निदेशक भी शामिल होते हैं। [पैरा 24] [1010-बी-डी]

1.2 राज्य द्वारा 5 सितंबर, 1979 को तदर्थ आधार पर श्रेणी III और IV के अस्थायी पदों पर नियुक्त सरकारी/अर्ध-सरकारी कर्मचारियों की छंटनी के संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया था। इसके बाद, 3 दिसंबर, 1980 को श्रेणी III और IV पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रदान करने के लिए अलग-अलग परिपत्र जारी किए गए। समूह घ की नियुक्ति के लिए भी इसी तरह के परिपत्र है। चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए परिपत्र है। 20 जनवरी, 1992 को राज्य ने स्वास्थ्य विभाग के तृतीय और चतुर्थ कक्षा कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन के बारे में एक परिपत्र जारी किया और यह निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों का विकेंद्रीकरण जिला स्तर पर किया जाएगा। यह भी परिचर्चा की गयी थी कि जहां तक संभव हो स्थानांतरण और पदस्थापन की नियुक्ति पदाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। उपर्युक्त परिपत्रों और सरकारी आदेशों के आधार पर, यह तर्क दिया जाता है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की नियुक्ति का अधिकार निदेशक, स्वास्थ्य सेवा के अधीन है। हालाँकि कुछ अन्य प्रशासनिक मामलों के संबंध में कुछ प्रत्यायोजन था, लेकिन वर्ग III और वर्ग IV श्रेणी के पदों की नियुक्ति के खिलाफ में कोई प्रत्यायोजन नहीं था। समूह ग और समूह सहायक निदेशक को प्रदत्त शक्तियों की शर्तें, बिहार स्वास्थ्य नियमावली के अध्याय I, खंड 13 (सी) के संदर्भ में सहायक निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य) को स्वीकृत पदों के खिलाफ स्वास्थ्य सहायकों एवं टीकाकरणकर्ताओं जैसे गैर-राजपत्रित महामारी कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार देता है, लेकिन केवल आपात स्थिति में। अश्विनी कुमार के मामले में एक निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि 2250 पदों को मंजूरी दी गई थी जबकि 6000 नियुक्तियां की गई थीं। 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत तपेदिक उन्मूलन एक आपातकालीन गतिविधि नहीं थी जो सहायक निदेशक को बड़ी संख्या में नियुक्तियां करने के लिए सशक्त बना सकती है, लेकिन फिर से ऐसी आकस्मिक शक्तियों का प्रयोग केवल स्वीकृत पदों के संबंध में किया जा सकता है। [पारस 27-29]

[1012-जी-एच; 1014-डी-ई; 1015-सी-ई]

1.3 नियुक्ति प्राधिकारी के संबंध में अपवाद 3 दिसंबर, 1980 के परिपत्र के साथ आया जिसमें विचार किया गया था कि सचिवालय और संलग्न कार्यालयों के सक्षम अधिकारियों जिला समाहर्ता और मंडल कार्यालयों के प्रभावी समकक्ष अधिकारी द्वारा सामान्य योग्यता सूची से आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जाए; स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों में उप निदेशक-ए. एम. श्रेणी III या श्रेणी IV के पद के खिलाफ नियुक्तियां करने में नियमावली के प्रावधानों के साथ-साथ 3 दिसंबर, 1980 के परिपत्र के संदर्भ में सक्षम नहीं थे इस न्यायालय द्वारा अश्विनी कुमार में भी दर्ज किए गए हैं। [पैरा 30] [1015-एफ-जी]

1.4 यद्यपि सिविल सर्जन द्वारा कुछ नियुक्तियाँ की गई हैं जो विवादित नहीं हैं क्योंकि वे सक्षम प्राधिकारी थे, लेकिन यह प्रस्तुत किया जाता है कि सिविल सर्जन को सार्वजनिक पद को भरने के लिए कोई भी आवश्यकता का पालन नहीं किया गया। बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए और बिना किसी स्वीकृत पद के सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां की गईं। यह नहीं कहा जा सकता है कि कुछ नियुक्तियाँ क्षेत्रीय उप निदेशक द्वारा की गई हैं क्योंकि सहायक निदेशक के चार पदों को क्षेत्रीय उप निदेशक में परिवर्तित कर दिया गया है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में सहायक निदेशक का पद दिया गया था जिसमें स्वीकृत पदों पर आपात स्थिति के अलावा नियुक्ति का प्रत्यायोजन नहीं थी। ऐसे क्षेत्रीय उप निदेशक को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति का अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए सहायक निदेशक आकस्मिक मामलों को छोड़कर स्वीकृत पदों के लिए नियुक्तियां करने में अक्षम था और क्षेत्रीय उप निदेशक भी। [पैरा 31,32] [1015-एच; 1016-ए-सी]

1.5 एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 20033/2012 से उत्पन्न सिविल अपील में, प्रत्यर्थी को उप निदेशक-ए. एम. द्वारा नियुक्त किया गया था। इस अदालत ने अश्विनी

कुमार के मामले में ऐसी नियुक्तियों को अवैध पाया है। की गई नियुक्तियों को पुनः जाँच करने का कोई कारण नहीं है। अश्विनी कुमार के मामले में ऐसी नियुक्तियों पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। इसलिए प्रतिवादी पक्ष में कोई अधिकार उपार्जित नहीं होगा। [पैरा 34] [1016-ई-एफ]

अश्विनी कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (1997) 2 एससीसी 1: [1996] 10 पूरक। एस. सी. आर. 120-संदर्भित।

1.6 यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि कर्मचारी कई वर्षों से काम कर रहे हैं, कुछ 25 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं, इसलिए, समाप्ति के आदेश को दरकिनार करने और उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि वे पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार बन सकें। जहां मूल अस्तित्व में नहीं है, वहां वेतन के दावे के रूप में इसकी कोई शाखा नहीं रह सकती है। लोक सेवा में वेतन, पेंशन और अन्य सेवा लाभों के अधिकार पूरी तरह से वैधानिक हैं। इसलिए, वेतन के अधिकार सहित ये अधिकार पद पर वैध और कानूनी नियुक्ति से प्राप्त होते हैं। एक बार जब यह पाया जाता है कि नियुक्ति गैरकानूनी है और कानून की नजर में अस्तित्वहीन है, तो वेतन या पेंशन और अन्य मौद्रिक लाभों के परिणामी अधिकारों के लिए कोई वैधानिक हकदार नहीं हो सकता है। [पैरा 35,36] [1016-जी; 1017-ए-सी]

रीता मिश्रा और अन्य बनाम निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार और अन्य ए.आई.आर. 1988 पटना 26-अनुमोदित।

1.7 पाँच सदस्यीय समिति द्वारा नियुक्तियों की जांच की गई है। 91 उम्मीदवारों के साथ अनियमित नियुक्ति का मामला पाया गया है। ऐसे उम्मीदवार सेवारत हैं। तत्काल अपीलों के सेट में से कोई भी उम्मीदवार यह इंगित नहीं कर सका कि उन्हें सार्वजनिक

नियुक्ति के खाली पद को भरने के लिए विज्ञापन द्वारा और सभी योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने का अवसर देकर नियुक्त किया गया था। [पैरा 38] [1018-ख]

1.8 यह नहीं कहा जा सकता कि कर्मचारियों की नियुक्ति अनियमित नियुक्तियां थीं। इस तरह की नियुक्तियां उमा देवी के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार के संदर्भ में अवैध नियुक्ति है। इस तरह की नियुक्तियां बिना किसी स्वीकृत पद के बिना किसी विज्ञापन के सभी पात्र उम्मीदवारों को आवेदन करने और सार्वजनिक रोजगार प्राप्त करने का अवसर देने के विज्ञापन के बिना और भर्ती की किसी विधि के बिना की गई थीं। ऐसी नियुक्तियां पिछले दरवाजे से की गई थीं, जो भाई-भतीजावाद और पक्षपात का कार्य था और इस प्रकार किसी भी न्यायिक मानक से इन नियुक्तियों को अनियमित नियुक्तियाँ नहीं कहा जा सकता है, किंतु पूर्ण रूप से मनमाना प्रक्रिया में गैरकानूनी नियुक्तियां हैं। [पैरा 44] [1020-जी; 1021-ए-बी]

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य (2006) 4 एससीसी 1:[2006] 3 एस. सी. आर. 953-पर निर्भर था।

1.9 12 जुलाई, 2011 के आदेश या उच्च न्यायालय द्वारा पारित इसी तरह के अन्य आदेशों को कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है और इस प्रकार उन्हें रद्द कर दिया जाता है। 24 सितंबर, 2014 के उच्च न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। [पारस 45-46] [1021-बी-सी]

बिहार राज्य और अन्य बनाम पुरेन्द्र सुलान किट और अन्य 2006 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 290; कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम एम. एल. केसरी और अन्य (2010) 9 एससीसी 247:[2010] 9 एससीआर 543; बिहार राज्य और अन्य बनाम बिनय कुमार सिंह और अन्य [2011] 3 पी. एल. जे. आर. 547; बिहार राज्य बनाम कीर्ति नारायण प्रसाद 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 261; राम सेवक

यादव और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य 2013 प्रयोगशाला आईसी 1607 (एफबी); रीता मिश्रा और अन्य बनाम निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार और अन्य ए.आई.आर. 1988 पटना 26; आर. विश्वनाथ पिल्लई बनाम केरल राज्य और अन्य (2004) 2 एससीसी 105:[2004] 1 एससीआर 360; झारखंड राज्य और अन्य बनाम मानशु कुंभकार (2007) 8 एससीसी 249:[2007] 9 एससीआर 1069; बिहार राज्य बनाम उपेंद्र नारायण सिंह और अन्य (2009) 5 एससीसी 65:[2009] 4 एससीआर 866; भारत संघ और एक अन्य बनाम रघुवर पाल सिंह (2018) 15 एस. सी. सी. 463:[2018] 4 एससीआर 1012; निधि कैम और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (2017) 4 एससीसी 1:[2017] 2 एससीआर 527; अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम और अन्य बनाम जगदीश बलराम बहिरा और अन्य (2017) 8 एससीसी 670:[2017] 11 एससीआर 271-संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1996] 10 पूरक एससीआर 120	संदर्भित किया गया है	कंडिका 3.
[2010] 9 एससीआर 543	संदर्भित किया गया है	कंडिका 7
[2011] 3 पी. एल. जे. आर. 547	संदर्भित किया गया है	कंडिका 7
2013 लैब आईसी 1607 (एफबी)	संदर्भित किया गया है	कंडिका 9
ए आई आर 1988 पटना 26	स्वीकृत की गई	कंडिका 36
[2004] 1 एससीआर 360	संदर्भित किया गया है	कंडिका 37
[2007] 9 एससीआर 1069	संदर्भित किया गया है	कंडिका 39
[2009] 4 एस. सी. आर. 866	संदर्भित किया गया है	कंडिका 40

[2018] 4 एससीआर 1012	संदर्भित किया गया है	कंडिका 41
[2017] 2 एससीआर 527	संदर्भित किया गया है	कंडिका 42
[2017] 11 एससीआर 271	संदर्भित किया गया है	कंडिका 43
[2006] 3 एससीआर 953	भरोसा किया गया	कंडिका 44

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: 2019 का सिविल अपील सं. 7879

2010 के एल. पी. ए. सं. 1741 में पटना में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांकित 12.07.2010 से

साथ

सिविल अपील सं. 2019 का 7883, 7884, 7880, 7881, 7882, 7886, 7885, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, 7907, 7893-7900, 7901, 7906, 7902-7903, 7904, 7905, 7911-7913, 7908, 7910, 7909, 7611, 7919, 7914, 7915-7916, 7933, 7932, 7917, 7920, 7918, 7921, 7927, 7925, 7924, 7922, 7923, 7926, 7928, 7929, 7930, 7931, 7934, 7935

आर. वेंकटरमानी, सुनील कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, मोहित कुमार शाह, अजय कुमार तलेसरा, बिपिन कुमार झा, जमशेद बे, एकांश बंसल, सुश्री बंदना सिंह, रंजन मुखर्जी, अजय कुमार सिंह, गौरव अग्रवाल, संजीत के. त्रिवेदी, विपिन कुमार जय, देवाशीष भारुका, अखिलेश कुमार पांडे, अभिनव मुखर्जी, यशराज बुंदेला, प्रवीण विग्नेश, राजीव कुमार, संजीव गुप्ता, रामेश्वर प्रसाद गोयल, कृष्णा एम. सिंह, शैलेश मडियाल, राजीव कुमार, संजीव गुप्ता, कार्तिक आनंद, मनु शंकर मिश्रा, अभय प्रकाश सहाय, जमनेश कुमार, हिमांशु शेखर, बिनय कुमार दास, सुश्री प्रियंका दास, राम एकबल रॉय, सौरभ उपाध्याय, सुश्री आकांक्षा वर्मा, एस.

के. वर्मा, नवीन प्रकाश, ए. के. यादव, जितेंद्र महापात्रा, सुश्री रूमी चंद्र, अनुज राजपूत, केदार नाथ त्रिपाठी, पहलाद सिंह शर्मा, रोहिणी प्रसाद निशांत कुमार, नितीश शेखर, सुश्री प्रतिष्ठा विज, श्रीमती बिहू शर्मा, समर्थ खन्ना, कुसुम चौधरी, एन. राय, शांतनु सागर, प्रेरणा सिंह, चंदन कुमार, एस. के. पब्बी, सुश्री शिखा रॉय, रमेश तिवारी, गोपाल सिंह, शिखिल सूरी, शिव कुमार सूरी, नवीन प्रकाश, केदार नाथ त्रिपाठी, सिमिता मुखर्जी, दिनेश कुमार शर्मा, सुश्री मिनाक्षी दास, के.बी. मोहन, चंदन कुमार, ऋतुराज चौधरी, चन्द्र प्रकाश, उपस्थित पक्षों के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया

1. यह निर्णय अपीलों के दो समूहों का निष्पादन करेगा-एक राज्य द्वारा पटना हाईकोर्ट की खण्ड पीठ द्वारा 12 जुलाई, 2011 को पारित एक आदेश से उत्पन्न, जिसमें राज्य द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए 6 अक्टूबर, 2009 को विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निदेशित किया गया था और अपीलों का दूसरा समूह 24 सितंबर, 2014 को हाईकोर्ट की खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न है। जिसमें 6 अक्टूबर, 2009 को विद्वत एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया था। अन्य तारीखों पर हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ कुछ अन्य अपीलें भी पट्ट पर हैं।

2. चूंकि अपीलों में मुद्दा समान या समान तथ्यों से उत्पन्न है, इसलिए ऐसी अपीलों को एक साथ में सुनवाई के लिए लिया गया है।

3. वर्तमान अपीलों प्रमुख संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सरकार के स्वास्थ्य विभाग में तृतीय संवर्ग या चतुर्थ संवर्ग के पदों के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की नियुक्ति 1990 तक था, उसके आगे की गई थी। ऐसे कर्मचारियों की सेवा को समाप्त कर दिया गया जिसके कारण हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिकाओं की संख्या बढ़ गई। मामलों का पहला दौर इस

अदालत की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा **अश्विनी कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य** के मामले में पारित आदेश के साथ समाप्त हो गया। इस अदालत ने कहा कि डॉ. मलिक द्वारा की गई भर्तियां निरंकुश, मनमौजी, शून्य थी जो 3 दिसंबर, 1980 के सरकारी आदेश और 25 मार्च, 1983 के सरकारी प्रस्ताव पर विचार करने के बाद किया था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि स्वीकृत पदों की अनुपस्थिति में किसी भी नियुक्त व्यक्ति को कोई प्राप्त अधिकार नहीं है। यह माना गया कि पूरा अभ्यास एक अनधिकृत साहसिक कार्य के दायरे में रहा। नगण्य से कुछ भी निकल नहीं सका था। शून्य का शून्य से गुणा शून्य रहता है। यह माना गया था कि योजना के अंतर्गत कर्मचारियों की सेना को लॉक, भंडार और बैरल से मुक्त किया जाना चाहिए ताकि सरकारी प्रशासन में जनता का विश्वास टूट न जाए और मनमाना कार्रवाइयां पवित्र न हों।

4. फिर एक चक्र में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बिहार राज्य एवं अन्य बनाम पुरेन्द्र सुलेन किट एवं अन्य के मामले में लगभग 819 लेटर्स पेटेंट अपीलों और रिट याचिकाओं का फैसला किया। हाईकोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि इसी अवधि के दौरान स्वास्थ्य विभाग में संवर्ग III और संवर्ग IV के पदों में प्रवेश पिछले दरवाजे से और कई मामलों में, नियुक्ति के जाली और मनगढ़ंत पत्रों द्वारा या वास्तविक नियुक्तियों के बिना स्थानांतरण आदेशों द्वारा और कुछ मामलों में, नियुक्ति के लिए असक्षम अधिकार द्वारा स्वीकृत पदों की उपलब्धता के बिना नियुक्तियों की गई थीं। उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि वह उपयुक्त सामग्री के आधार पर प्रभावित कर्मचारियों के मामलों में नए नए सिरे से और **सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमा देवी** एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के अनुसार जाँच करें। हाईकोर्ट ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

“10. सभी लेटर्स पेटेंट अपीलों को, चाहे वे राज्य द्वारा या प्रभावित कर्मचारियों द्वारा और प्रभावित कर्मचारियों द्वारा दायर की गई सभी रिट याचिकाओं को इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा निपटाया जाता है, और स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी प्रभावित कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विचार करें, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी (ऊपर) के मामला में संविधान पीठ द्वारा तय किए गए उपयुक्त तथ्यों और कानून के आधार पर, इस तरह के प्रभावित कर्मचारियों में से कौन कौन निर्णय के संदर्भ में नियमितीकरण के लिए उपयुक्त हैं, विशेष रूप से निर्णय के पैराग्राफ 44 के संदर्भ में। इस तरह का कार्य आज से छह महीने की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए। यदि किसी अच्छे कारण से, समय अवधि बढ़ाने की आवश्यक है, तो प्रतिवादी राज्य को उस उद्देश्य के लिए एक आवेदन फाइल करना चाहिए और इस अदालत से विस्तार की मांग करनी चाहिए। प्रक्रिया पूरी होने तक बिहार राज्य और उसके अधिकारियों प्रभावित कर्मचारियों की सेवा के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे। प्रभावित लोगों के संबंध में अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों द्वारा यथास्थिति को संशोधित किया जाएगा इस निर्णय और आदेश के आलोक में उनके द्वारा किए जाने वाले अभ्यास और उनके अंतिम निर्णय के परिणाम होंगे।”

5. ऐसे निर्देश के अनुसरण में राज्य ने व्यक्तिगत मामला के तथ्यों में जांच करने के लिए पांच अधिकारियों की एक समिति गठित की। राज्य समिति के दो सदस्यों ने कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया और न ही रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए, लेकिन बचे हुए तीन सदस्यों ने 31 दिसंबर, 2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रत्येक व्यक्ति के मामला के तथ्यों पर विचार करने के बाद, कर्मचारियों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में रखा गया:

(क) जाली दस्तावेजों पर प्रतिभूत रोजगार

(ख) गैरकानूनी नियुक्तियां और

(ग) अनियमित नियुक्तियां.

6. राज्य समिति ने अनियमित नियुक्तियों के 91 मामले, गैरकानूनी नियुक्ति के 228 मामले और जाली नियुक्ति पत्रों के 358 मामले पाया। राज्य समिति के रिपोर्ट के अनुसार, श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों के संबंध में समाप्ति के आदेश फिर से पारित किए गए थे अर्थात् जाली दस्तावेजों और गैरकानूनी नियुक्तियों पर प्राप्त रोजगार, जबकि 91 उम्मीदवारों की नियुक्ति अनियमित मिला थी, जिसे जारी रखने की अनुमति दी गई थी। राज्य समिति की रिपोर्ट और समाप्ति के आदेशों को अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर करके विद्वत एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। मुख्य मामला 2009 की सीडब्ल्यूजेसी संख्या 6575 का है। ऐसी सभी रिट याचिकाओं को अनुमति 6 अक्टूबर 2009 को दी गई थी जिससे तीन सदस्यों द्वारा 31 दिसम्बर, 2008 को प्रस्तुत रिपोर्ट को कर्मचारियों की बहाली के निर्देश के साथ रद्द कर दिया गया।

7. दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 के आदेश को राज्य द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष कुछ अंतर-न्यायालय अपीलों में चुनौती दी गई। 29 मार्च, 2011 को अन्य बातों के साथ साथ-साथ इस आधार पर ऐसी अपीलों को खारिज कर दिया गया था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए जांच की गई थी क्योंकि केवल तीन सदस्यों ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी समाप्ति राज्य में इस अदालत द्वारा **कर्नाटक और अन्य बनाम एम. एल. केसरी और अन्य** के मामले पारित निर्णय के विपरीत है। चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं ने दस साल से अधिक समय तक काम किया है, इसलिए, सेवा नियमितीकरण के अधिकारी हैं। इस तरह के निर्णय को **बिहार राज्य और अन्य बनाम बिनय कुमार और अन्य** वाले मामले में रिपोर्ट किया गया है। इस न्यायालय के **बिहार राज्य बनाम किरती नारायण प्रसाद** के मामले में दिनांक 29 मार्च,

2011 के पारित आदेश से उत्पन्न होने वाले कुछ अपीलों की स्वीकृति दी है। इस बीच राज्य द्वारा दायर कई अपीलों को हाईकोर्ट द्वारा 30 जून, 2010, 12 जुलाई, 2011, 14 जुलाई, 2011, 20 जुलाई, 2011, 15 अप्रैल, 2013, 30 अक्टूबर, 2013 और 30 नवंबर, 2015 सहित कई तारीखों को खारिज कर दिया गया था, जो वर्तमान अपीलों में चुनौती का विषय है।

8. विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश ने भी वर्ष 2009 की एलपीए संख्या 1623 और अन्य अपीलों को उत्सर्जित किया। इस तरह के अपीलों को 11 फरवरी, 2010 को अनुमति से स्वीकार कर लिया गया था, जिसके अंतर्गत माननीय न्यायाधीश श्री उदय सिन्हा, हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति को उनमें नियुक्तियों की वैधता और सेवा में बने रहने की वैधता का निर्णय करने की दृष्टि से नियुक्ति की प्रकृति के विभिन्न तथ्यों की जांच करने का कार्य सौंपा गया था। बाद में 2010 की एलपीए संख्या 560 और कुछ अन्य अपीलों को 23 मार्च, 2010 को उपर्युक्त एलपीए में पारित आदेश के आलोक में बिना किसी सहमति के अनुमति दी गई थी। कथित आदेशों को 2011 की सिविल अपील संख्या 6484 और अन्य मामलों के अंतर्गत इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई थी। इस अदालत ने 8 अगस्त, 2011 को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर अपीलों को स्वीकार किया था कि बिना अनुमति के 2009 में एलपीए संख्या 1623 एवं अन्य संबंधित अपीलों के संदर्भ में अपील का निपटान नहीं किया जा सकता। अपीलों पर नए सिरे से फैसला करने का निर्देशित का निर्देश दिया गया। फिर खण्ड पीठ ने 24 सितंबर, 2014 को एक आदेश पारित कर विद्वत एकल पीठ द्वारा 6 अक्टूबर, 2009 को पारित आदेश को दरकिनार कर दिया।

9. खण्ड पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि नियुक्तियां आरम्भतः ही गैरकानूनी और खालीपन होने में कारण सेवा का नियमितीकरण नहीं किया जा सकता और यह कि **विनय कुमार सिंह** वाले मामले में हाईकोर्ट के खंडपीठ का निर्णय **राम सेवक यादव और**

अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य वाले मामले में पूर्ण पीठ के निर्णय के प्रतिकूल हैं। जहां अपीलकर्ताओं को स्वास्थ्य विभाग में असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा संवर्ग 4 के पदों पर नियुक्त किया गया था, जैसा कि अपीलों के वर्तमान सेट में था, लेकिन उनकी सेवा को वर्ष 2001 में इस कारण से समाप्त कर दिया गया था कि उनकी नियुक्तियां गैरकानूनी थीं। हाईकोर्ट की पूर्ण न्यायपीठ ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

“41. सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति करने की सार्वजनिक शक्ति जनता की भलाई के लिए प्रदत्त गई है। यह शक्ति सरकार द्वारा संबंधित पदाधिकारी को उस विश्वास से दी गई है कि इसका उपयोग किया जाएगा न कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा। यदि विश्वास को झूठा साबित किया जाता है तो किसी सरकारी नौकर को प्रदान की गई सुरक्षा निरावृत कर दी जाती है। उत्तरदायित्व और जवाबदेही तब अफसर की व्यक्तिगत होती है। सरकार अफसर के खिलाफ उचित दीवानी/आपराधिक कारवायी करने के लिए बाध्य है। नियुक्ति में अवैधता एकल गली नहीं है। अगर कोई नौकरी के लिए कीमत चुकाने को इच्छुक था, तो कोई और इसका लाभ उठाने का कीमत तय करके इंतजार कर रहा था। यह बिना कारण नहीं है कि इस तरह की अधिकांश नियुक्तियां तृतीय और चतुर्थ संवर्ग के पदों से संबंधित हैं। सरकार जिस मानक के आधार पर कार्य करने का दावा करती है वह वही मानक है जिसके आधार पर उसके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसलिए जब इसके साथ ही सरकार किसी नियुक्ति को गैरकानूनी मानकर रद्द करती है, तो यह सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह उन अधिकारियों के खिलाफ कार्य करे जिन्होंने सरकार के विश्वास को झुठलाया है। जिन लोगों ने सूरज की रोशनी में घास बनाई है, उन्हें गहरे बादलों के दिनों को भी देखना चाहिए.....

44. याचिकाकर्ताओं को संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत एक प्रक्रिया द्वारा अस्थायी क्षमता में उन्हें व्यक्तिगत पक्ष के रूप में बिना प्रतिस्पर्धी चयन के थोड़ा-थोड़ा करके नियुक्त किया गया था। यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि उन्हें खाली स्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया था और उनके पास इसके लिए अर्हताएं थीं। उन्हें (उमा देवी) (पूर्वोक्त) से पहले ही समाप्त कर दिया गया था और उन्होंने अदालत की कार्यवाही के आधार पर अपनी स्थिति बनाए रखने की मांग की है और इसलिए वे पैराग्राफ 53 के लाभों के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए जाली नियुक्ति के खोज के लिए किसी भी प्रक्रियात्मक अनियमितता का मुद्दा अप्रासंगिक है।"

10. खण्ड पीठ ने अपने दिनांक 24 सितंबर, 2014 के आदेश में उस अदालत के पूर्ण पीठ के निर्णय का अनुसरण करते हुए, अब इन अपीलों में कर्मचारियों द्वारा चुनौती का विषय निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया है:

".....उपरोक्त निर्देश का अनुसरण में राज्य सरकार अपने विवेक से पाँच सदस्यों की एक कमिटी का गठन की है - प्रतीत होता हैअंत में, केवल तीन सदस्यों ने जांच की और अपनी रिपोर्ट दी। हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि इस रिपोर्ट पर विश्वास क्यों नहीं किया जा सकता या इसे गैरकानूनी या अमान्य क्यों ठहराया जाना चाहिए। इसमें कोई विवाद नहीं है कि राज्य समिति ने प्रभावित कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व और सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन होने के कारण, इस अदालत को राज्य समिति द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष पर अविश्वास करने या हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं होना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि रिट याचिकाकर्ताओं ने राज्य समिति द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी है या कम से कम यह स्थापित करने में समर्थ नहीं रहे हैं कि संबंधित

निष्कर्ष मामला के तथ्यों पर गलत है। हमने केवल असैनिक शल्य-चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा की गई अवैधता की प्रकृति को सामने लाने के लिए एक मामले के तथ्यों को दर्ज किया है। जैसा कि इसमें ऊपर अभिलिखित है, राज्य सरकार द्वारा बार-बार की गई जांच में ऐसी सभी नियुक्तियां पहले से ही गैरकानूनी, शून्य पाई गई। जब तक इस तरह के खोज के गलत होने का कोई मजबूत प्रमाण नहीं है, तब तक यह अदालत न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग के अंतर्गत इस तरह के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। रिट याचिकाओं के वर्तमान समूह में किसी भी रिट याचिकाकर्ताओं ने गैरकानूनी नियुक्ति के निष्कर्ष को खारिज नहीं किया है या यह स्थापित नहीं किया है कि उसका उसकी नियुक्ति कानूनी थी और हर तरह से वैध थी। हमारे विचार में विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर राज्य समिति की रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि समिति के केवल तीन सदस्यों ने जांच की थी और रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

XX

XX

XX

यह हमें अंतिम सवाल पर लाता है कि क्या उनकी लंबी सेवा के मद्देनजर, रिट याचिकाकर्ताओं सेवा में नियमित करने के अधिकारी हैं जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी (3) (उपर्युक्त) में कहा है। यह वही सटीक सवाल था जिसे राम सेवक यादव और अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में पूर्ण पीठ को संदर्भित किया गया था। इस अदालत की पूर्ण न्यायपीठ ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि उमा देवी (उपर्युक्त) का निर्णय ऐसी नियुक्तियों को नियमित करने, सेवा की अवधि अप्रासंगिक होने और शुरु से ही की गई गैरकानूनी नियुक्ति को किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत नियमित नहीं किया जा सकता है। इस अदालत के पूर्ण पीठ के पूर्वोक्त फैसला को ध्यान में रखते हुए, बिहार राज्य और अन्य बनाम बिनय कुमार सिंह और अन्य

[2011 (3) पीएलजेआर 547] में मामले में इस अदालत की खण्ड पीठ द्वारा निर्धारित कानून अब एक अच्छा कानून नहीं है। वर्तमान मामले में रिट याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियों को बार-बार आरम्भतः ही शून्य या अमान्य माना गया है। उमा देवी (3) (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 44 को लागू करके भी उनमें सेवा को नियमित करने का सवाल ही नहीं उठता है।"

11. स्वास्थ्य विभाग में तृतीय और चतुर्थ संवर्ग के पदों पर की गई नियुक्तियों पर सर्वप्रथम विचार करने के लिए **अश्विनी कुमार** के मामले में इस न्यायालय के समक्ष आया। इस अदालत ने निम्नलिखित बिंदुओं की जांच की:

- "1. क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के एक भाग के रूप में क्षय रोग उन्मूलन योजना में तृतीय और चतुर्थ संवर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति कानूनी और वैध थी?
2. क्या इन कर्मचारियों की पुष्टि कानूनी रूप से न्यायसंगत थी?
3. क्या डॉ. मलिक द्वारा नियुक्त इन सभी 6000 कर्मचारियों की सेवा को समाप्त करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था?
4. अपीलार्थियों को क्या राहत, यदि कोई हो, दी जा सकती है।"

12. निर्धारण के लिए प्रथम बिंदु के संबंध में अदालत इस तथ्य पर विचार कर रहा था कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक डॉ. ए. ए. मलिक, क्षय रोग केन्द्र के प्रभारी और फाइलेरिया के सहायक निदेशक के रूप में थे जो 2250 स्वीकृत पदों के मुकाबले 6000 कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। इस अदालत ने पाया ये सभी भर्तियां तृतीय और चतुर्थ संवर्ग के पदों के लिए 3 दिसंबर, 1980 के अलग-अलग सरकारी आदेशों के विपरीत प्रशासनिक प्रक्रिया के सभी मानदंडों के खिलाफ निरंकुश, मनमाने, अमान्य और अस्तित्वहीन थीं। इस अदालत ने 25 मार्च, 1983 के संकल्प पर विचार करते हुए

कर्मचारियों द्वारा सेवा की निरंतरता का दावा करने के लिए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

“12.हम विवाद राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री सिंह की इस दलील से सहमत हैं कि डॉ. मलिक द्वारा की गई सभी भर्तियां इच्छाधीना, मनमाने और अस्तित्वहीन थीं क्योंकि वह ऐसे कर्मचारियों की भर्ती के लिए स्थापित मानदंड और प्रक्रियाएं के साथ बल प्रयोग किया था। डॉ. मलिक अपने निजी प्रतिष्ठान में इन कर्मचारियों को नियुक्ति नहीं दे रहे थे। वह वह एक सरकारी कार्यक्रम में भर्ती कर रहा था, जिसे नियोजित खर्च द्वारा समर्थित किया गया था। सार्वजनिक सेवा में ऐसी भर्ती इस तरह की लापरवाही से नहीं की जा सकती थी जिस तरह से डॉ. मलिक द्वारा की गई थी। दुर्भाग्य से डॉ. मलिक ने इस योजना को अपनी निजी संपत्ति मान लिया। उनके द्वारा अपनायी गई, व्यवस्था कानून द्वारा ज्ञात प्रशासनिक प्रक्रिया के सभी मानदंडों का घोर उल्लंघन थी। इस संबंध में हम लाभप्रद रूप दिनांक 3-12-1980 के सरकारी आदेश का उल्लेख कर सकते हैं। इस पर कोई विवाद नहीं है कि डॉ. मलिक ने अपने प्रवेक्षण एवं अनुश्रवण के अंतर्गत तपेदिक उन्मूलन योजना में प्रारंभिक चरण में तदर्थ/दैनिक वेतन कर्मचारियों की भर्ती करते समय तृतीय और चतुर्थ संवर्ग के कर्मचारियों की भर्ती के लिए निर्धारित किसी भी निर्देश और प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।.....

.....लेकिन वही संकल्प इंगित करता है कि मलेरिया, फाइलेरिया और टीबी कार्यक्रम के अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ संवर्ग के पदों पर चयन समिति द्वारा नियमित नियुक्तियां की जानी थीं। इसलिए उपलब्ध पदों के लिए नियमित रूप से भर्ती की जानी थी। अदालत ने कभी भी डॉ. मलिक को नया पद सृजित करने की शक्ति नहीं दिया, जिन्हें मंजूरी नहीं दी गई थी और न ही नियुक्ति करनी थी। न ही इसने तृतीय

और चतुर्थ संवर्ग के ऐसे कर्मचारियों की भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करने और उनकी पसंद और इच्छाओं के अनुसार मनमाने ढंग से भर्ती करने का कोई अधिकार दिया। इस संकल्प में कहीं भी यह संकेत नहीं दिया गया है कि पूर्व सरकार के आदेश में संवर्ग III और संवर्ग IV के पदों पर भर्ती के बारे में प्रक्रिया को पार कर दी गई थी। नतीजतन, 25-3-1983 के संकल्प को 3-12-1980 के सरकारी आदेशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए और उन्हें संकल्प नहीं दिनांक चढ़ा हुआ जाना चाहिए।.....यह स्वतः सिद्ध है कि जब तक रिक्ति नहीं होती, इसे भरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसा कोई कर्मचारी नहीं हो सकता जो रिक्ति या पद उपलब्धता के बिना काम कर सकता है और उसे बजटीय मंजूरी के अनुसार भुगतान किया जा सकता है। इसलिए, वह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि तपेदिक उन्मूलन योजना में डॉ. मलिक द्वारा की गई 6000 कर्मचारियों की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से गैरकानूनी थी। चूंकि वे सभी मान्यता प्राप्त भर्ती प्रक्रियाओं के विपरीत थीं और अत्यधिक मनमाना थीं, इसलिए वे बिहार राज्य के लिए बंधन नहीं थीं। इसलिए, संकल्प के लिए पहले बिंदु का जवाब नकारात्मक में दिया जाएगा।"

13. दूसरे बिंदु के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि प्रारंभिक प्रवेश स्वयं अनधिकृत है और यह नियुक्ति स्वीकृत रिक्ति के विरुद्ध नहीं है, इसलिए सेवा को नियमित करने का सवाल कभी भी विचारण के लिए नहीं आएगा। इस अदालत ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया:

"13. ...लेकिन यदि प्रारंभिक प्रवेश स्वयं अनधिकृत है और किसी स्वीकृत रिक्ति के खिलाफ नहीं है, तो इस तरह की गैर-मौजूदा रिक्ति पर पदधारी को नियमित करने का सवाल कभी भी विचारण के लिए नहीं उठ पायेगा और यहां तक कि अगर ऐसा कथित नियमितीकरण या पुष्टि की जाती है तो भी यह एक निरर्थक प्रक्रिया होगी।

यह मृत शिशु को सजाने मात्र जैसा होगा। इन परिस्थितियों में उन्हें नियमित करने या उन्हें वैध पुष्टि देने का कोई अवसर नहीं था..... जैसा कि हमने पहले देखा है कि जहां तक इन दैनिक वेतन भोगियों का संबंध है, डॉ. मलिक द्वारा प्रारंभिक नियुक्तियां गैरकानूनी थीं, ऐसे कर्मचारियों को नियमित करने का कोई सवाल ही नहीं था और उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकि योजना के अंतर्गत उपलब्ध स्पष्ट रिक्तियों पर उनकी पुष्टि नहीं की गई थी। इससे यह समझ से परे है कि 2500 स्वीकृत रिक्तियों में से 6000 कर्मचारियों की पुष्टि कैसे की जा सकती थी। यह पूरा अभ्यास एक अनधिकृत साहसिक कार्य के दायरे में रहा। नगण्य से कुछ भी निकल नहीं सकता था। शून्य का शून्य से गुणा शून्य रहता है.....”

14. सेवा के नियमितीकरण की मांग के तर्क पर विचार करते हुए, इस अदालत ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

“14. इस संबंध में यह ध्यान देना उचित है कि किसी भी सरकारी सेवा सहित किसी भी सेवा में नियमितीकरण का सवाल दो आकस्मिक स्थितियों में उत्पन्न हो सकता है। सबसे पहले, यदि किसी उपलब्ध साफ़ रिक्तियों पर, जो लंबी अवधि की नियुक्तियां हैं, सक्षम अधिकार द्वारा तदर्थ आधार या दैनिक वेतन के आधार पर की जाती हैं अन्यथा समय-समय पर जारी रखी जाती हैं और यदि यह पाया जाता है कि संबंधित कर्मचारियों को किसी कृत्रिम ब्रेक के साथ या उसके बिना लंबे समय तक कार्यरत रखा जाता रहा है और उनकी सेवा अन्यथा उस संस्था के लिए आवश्यक होती है, जो उसे बहाल करता है तो ऐसे कर्मचारियों के सेवा कैरियर में एक समय आ सकता है जो उन्हें नियमित करने के लिए पर्याप्त समय तक तदर्थ आधार पर जारी रखे जाते हैं ताकि संबंधित कर्मचारी सुनिश्चित कालावधि पा करके अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। किन्तु इसके लिए एक पूर्व शर्त अपेक्षित होगी कि ऐसे कर्मचारी की प्रारंभिक

प्रवेश ऐसी प्रवेश को शासित करने वाले नियमों और विनियमों का पालन करते हुए उपलब्ध स्वीकृत रिक्ति के सापेक्ष की जानी चाहिए.....

लेकिन ऐसे मामला में भी प्रारंभिक प्रवेश को पूरी तरह से गैरकानूनी नहीं ठहराया जाना चाहिए या ऐसी भर्ती को नियंत्रित करने वाले सभी स्थापित नियमों और विनियमों की घोर अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। किसी भी मामले में ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए पिछले दरवाजे की प्रविष्टियों से सख्ती से बचना होगा। हालाँकि ऐसे कर्मचारी की नियुक्ति को नियमित करने का कोई अवसर नहीं आएगा जिसमें प्रारंभिक प्रवेश स्वयं दागी है और जो भर्ती में अपेक्षित प्रक्रिया का पूरी तरह भंग करती है और विशेष रूप से तब जब ऐसी कोई रिक्ति नहीं है जिस पर उम्मीदवार के प्रारंभिक प्रवेश को कभी प्रभावित किया जा सके। कर्मचारी की इस तरह की प्रविष्टि शुरू से ही दागी बनी रहेगी और इस तरह के गैरकानूनी प्रवेश को नियमित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, हालाँकि भर्ती एजेंसी कितनी ही सक्षम क्यों न हो। अपीलकर्ता मामलों के इस वाद वाली श्रेणी में आते हैं। उनके पास नियमितीकरण का कोई मामला नहीं था और उनके पक्ष में जो भी कथित नियमितीकरण किया गया, वह निरर्थक रहा। इन सभी कारणों से, इसलिए, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के दावे से सहमत होना संभव नहीं है कि किसी भी मामले में इन कर्मचारियों को दी गई पुष्टि ने उन्हें सेवा से भविष्य में बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा का पर्याप्त आवरण दिया था। इसके विपरीत 6000 कर्मचारियों की इस सेना को योजना के अंतर्गत लाकर डॉ. मलिक द्वारा बनाए गए सभी मकड़जाल को ताले, भंडार और बैरल को साफ किया जाना था ताकि लोक प्रशासन में लोगों का विश्वास टूटने न पाए और मनमाना तरीके से में गई कार्रवाई पवित्र न हो।"

15. तीसरा मुद्दा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के संबंध में था। इस अदालत ने पाया कि 3750 उम्मीदवारों को पूरी तरह से अनधिकृत तरीके से नियुक्त किया गया था और वे गैर-मौजूद रिक्तियों के खिलाफ बैठ रहे थे। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें जमें हुए को साफ करने और इन विकृत भर्तियों के दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्य करने की आवश्यकता थी ताकि तपेदिक उन्मूलन योजना को मजबूत आधार पर लागू किया जा सके। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे मामले की गहन जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देशित था। ऐसी समिति ने लोक सूचना जारी किए थे। समिति के समक्ष 987 उम्मीदवार उपस्थित हुए। इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री पर सोच-विचार किया गया था और फिर समिति ने इस आशय का एक दृढ़ फैसला लिया कि डॉ. मलिक द्वारा है गई इन सभी नियुक्तियों को शुरुआत से ही दूषित कर दिया गया था और उन्हें रद्द करना की आवश्यक थी और इस प्रकार अपीलकर्तों के खिलाफ समाप्ति आदेश पारित किए गए थे। इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया गया था यदि संबंधित कर्मचारियों को उनकी नियुक्तियों को वापस लेने और समाप्त करने से पहले मामले में अपनी बात रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया था।

16. हालाँकि बिंदु संख्या 4 का उत्तर देते समय, राज्य को उपलब्ध 2250 रिक्तियों या उससे भी अधिक रिक्तियों के लिए संवर्ग III और संवर्ग IV के कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू करने को निर्देशित किया गया था। मामलों का दूसरा दौर उच्च न्यायालय के **पुरेन्द्र सुलन किट** के मामले में दिये गए निदेशों के संदर्भ में गठित राज्य समिति की रिपोर्ट के साथ शुरू हुआ।

17. जब 3 अप्रैल, 2018 को इस अदालत के समक्ष अपीलों का वर्तमान समूह सुनवाई के लिए आया, तो इस अदालत ने निम्नलिखित चार श्रेणियों के मामले पाए:

“(i) जाली नियुक्ति पत्र के आधार पर की गई नियुक्तियां। वे क्रम संख्या 2 से 48 पर हैं।

(ii) फर्जी नर्सिंग पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर की गई नियुक्तियां। वे क्रम सं. 49-50-51 पर हैं।

(iii) ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई नियुक्तियां जो नियुक्ति करने के लिए सक्षम नहीं था। वे क्रम संख्या 52 से 92 पर हैं।

(iv) क्रम संख्या-एक पर एक अवशिष्ट श्रेणी है अर्थात् डॉ. ए. ए. मलिक, उप निदेशक टी. बी. और क्रम संख्या 93 और 94 जो अब नियुक्ति का दावा कर रहे हैं। उनके मामलों पर अलग से विचार किया जाएगा।”

18. प्रथम श्रेणी के मामलों का फैसला **कीर्ति नारायण प्रसाद** मामले में 30 नवंबर, 2018 को तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया गया था। जहाँ निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया:

“17. वर्तमान मामलों में रिट याचिकाकर्ताओं ने अपनी सेवा को नियमित करने और अपनी सेवा की समाप्ति के आदेश रद्द करने के लिए एक विशिष्ट प्रार्थना में साथ हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने राज्य समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को भी चुनौती दी है। वास्तविक विवाद यह है कि क्या रिट याचिकाकर्ताओं को कानूनी रूप से और वैध रूप से नियुक्त किया गया था। राज्य समिति का निष्कर्ष है कि कई रिट याचिकाकर्ताओं ने फर्जी या जाली नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करके नियुक्ति प्राप्त की थी या संबंधित असैनिक शल्य-चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा एक प्रविष्टि आदेश जारी करके गुप्त रूप से सरकारी सेवा में शामिल किया गया था। रिट याचिकाकर्ताओं असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा

पदाधिकारी द्वारा दिए गए गैरकानूनी आदेशों के लाभार्थी हैं। उन्हें उनकी नियुक्ति की वास्तविकता और सकारण बताने के लिए सूचना दिया गया था। उनमें से कोई भी राज्य समिति के समक्ष अपनी नियुक्ति की वास्तविकता या वैधता को स्थापित नहीं कर सका। अभिलेख पर सामग्री के मूल्यांकन पर राज्य समिति ने यह राय व्यक्त की है कि उनकी नियुक्ति आरम्भतः ही गैरकानूनी और अस्तित्वहीन थी। हम राज्य समिति के निष्कर्षों से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाते हैं। इन परिस्थितियों में उमादेवी (उपर्युक्त) के निर्णय के पैरा 53 को लागू करके उनकी सेवा को नियमित करने का सवाल ही नहीं उठता है। चूंकि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति आरम्भतः ही अस्तित्वहीन है, इसलिए उन्हें राज्य का नागरिक सेवक नहीं कहा जा सकता। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा या किसी अन्य अनुशासनात्मक नियमों के अंतर्गत परिकल्पित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।"

19. द्वितीय श्रेणी के मामले अर्थात् जाली नर्सिंग पंजीकरण के आधार पर नियुक्ति श्रेणी एक के समान स्तर पर है, हालांकि तीन अपीलों में अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि नर्सिंग पंजीकरण प्रमाण पत्र जाली नहीं है लेकिन मैट्रिक प्रमाण पत्र जिसके आधार पर उम्मीदवारों ने सहायक नर्स मिडवाइफ पाठ्यक्रम पूरा किया है, वह जाली पाया गया। राज्य समिति ने पाया है कि एएनएम प्रमाण पत्र एक जाली प्रमाण पत्र है। यहां तक कि अगर एएनएम का प्रमाण पत्र जाली नहीं है जैसा कि इस अदालत के समक्ष तर्क दिया गया है, लेकिन मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र जाली कहा जाता है, तो तथ्य यह है कि नर्सिंग पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए शैक्षणिक योग्यता, एक पूर्व शर्त, जाली पाई गई थी। इसलिए एएनएम पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए बुनियादी पात्रता स्थिति में जालसाजी है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया को खराब कर देगा। **कीर्ति नारायण प्रसाद** मामले में दर्ज कारणों से सिविल अपील संख्या 7906/2019, 7919/2019 और 7920/2019 को खारिज कर दिया गया है।

20. मामलों के तीसरी श्रेणी के बारे में श्री मुखर्जी, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कक्षा III और कक्षा IV कक्षा के पदों के संबंध में दिनांक 03.12.1980 के अलग-अलग सरकारी परिपत्रों का उल्लेख किया। यह प्रतिवाद किया गया है कि **अश्वनी कुमार** मामले में इस अदालत द्वारा ऐसे परिपत्रों पर नियुक्तियों को गैरकानूनी पाया गया है, जिसे बाद में **उमा देवी** मामले में संविधान पीठ के निर्णय द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसमें इस अदालत ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था:

“33. इस पहलू पर इस अदालत के सभी निर्णयों पर सूचना ज़रूरी नहीं है। मोटे तौर पर जो उभरकर आता है वह यह है कि नियमित भर्ती पर जोर दिया जाना चाहिए, केवल आकस्मिकता में तदर्थ नियुक्ति स्थायी रिक्ति में किया जा सकता है, लेकिन जल्द ही एक नियमित भर्ती की जानी चाहिए और यह कि गैर-उपलब्ध पदों पर नियुक्तियों को नियमितीकरण के लिए ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। नियमित करने का निर्देश देने वाले मामले मुख्य रूप से इस आधार पर आगे बढ़े हैं कि कर्मचारी को कुछ अवधि के लिए काम करने की अनुमति देने के बाद, जन रोज़गार के लिए संवैधानिक योजना पर चर्चा करने के बाद, वास्तव में इस आशय का कोई कानून बनाए बिना, उसे काम में ले लिया जाना चाहिए।

XX

XX

XX

53. एक पहलू को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ अनियमित नियुक्तियाँ (गैरकानूनी नियुक्तियाँ नहीं) जैसा कि *एस. वी. नारायणप्पा* [(1967) 1 एस. सी. आर. 128:ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1071], *आर. एन. नंजुंडप्पा* (1972) 1 एस. सी. सी. 409:(1972) 2 एस. सी. आर. 799] और *बी. एन. नागराजन* [(1979) 4 एस. सी. सी. 507:1980 एससीसी (एल एंड एस) 4:(1979) 3 एस. सी. आर. 937] और उपरोक्त पैरा 15 में निर्दिष्ट, सम्यक रूप से योग्य खाली

पदों में सम्यक रूप से अर्हित व्यक्तियों को बनाया जा सकता था और कर्मचारियों ने न्यायालय या अधिकरणों के आदेशों के हस्तक्षेप के बिना दस वर्ष या उससे अधिक समय तक काम करना जारी रखा हो। ऐसे कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने के सवाल पर उपरोक्त मामलों में और इस निर्णय के आलोक में इस अदालत द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के आलोक में गुण के आधार पर विचार किया जा सकता है.....”

(जोर दिया जाता है)

21. उमा देवी में इस तर्क को कि कर्मचारियों की वैध अपेक्षाएं हैं, नकार दिया गया था जब इस अदालत ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया:

"46.सिद्धांत लागू किया जा सकता है यदि प्रशासनिक प्राधिकार के निर्णय व्यक्ति को किसी लाभ या मुनाफे से वंचित करके प्रभावित करते हैं जो था तो (i) उसे अतीत में निर्णयकर्ता द्वारा आनंद लेने की अनुमति दी गई थी और जिसकी वह वैद्य रूप से उम्मीद कर सकता है, इसे तब तक जारी रखने की अनुमति दी जाए जब तक कि उसे वापस लेने के लिए कुछ तर्कसंगत आधार नहीं बताया जाता है जिस पर उन्हें टिप्पणी करने का अवसर दिया गया है या (ii) उसे निर्णय निर्माता से आश्वासन मिला है कि उन्हें अग्रिम कारणों का पहला अवसर दिये बिना वापस नहीं लिया जाएगा और यह तर्क देने के लिए कि उन्हें वापस नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा कोई मामला नहीं है कि सरकार या संबंधित विभाग द्वारा दैनिक वेतन पर नियुक्ति करते समय यह आश्वासन प्रदत्त था कि उसे प्रदान की गई स्थिति को तब तक वापस नहीं लिया जाएगा जब तक इसे वापस लेने के लिए कोई तर्कसंगत कारण अस्तित्व में नहीं आता है। यह विनियोजन संवैधानिक योजना के खिलाफ था। हालांकि, वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त ने नियुक्तियों को स्थायी बनाने की मांग की थी, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है कि नियुक्ति के समय कोई वादा किया गया

था। धारवाड़ निर्णय [(1990) 2 एस. सी. सी. 396:(1990) एस सी सी (एल एवं एस) 274:(1990) 12 ए टी सी 902:(1990) 1 एस सी आर 544] के उपरांत सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों एवं निर्देशों के मददेनजर वैसे वादे भी नहीं आगे बढ़ाये जा सकते हैं। यद्यपि, ऐसा एक मामला है कि राज्य ने अतीत में इसी प्रकार की समान स्थिति वाले कर्मचारियों को नियमित किया था, लेकिन सच्चाई यह है कि इस तरह के नियमन केवल अदालती निर्देशों, या तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण या हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार और कुछ मामलों में इस न्यायालय द्वारा किए गए थे।.....

47. जब कोई व्यक्ति अस्थायी रोज़गार में प्रवेश करता है या संविदात्मक या अनौपचारिक कामगार के रूप में कार्य करता है और नियोजन संगत नियमों या प्रक्रिया द्वारा मान्यता प्राप्त उपयुक्त चयन पर आधारित नहीं है, तो वह नियुक्ति के अस्थायी, अनौपचारिक या संविदात्मक प्रकृति के होने के परिणामों से अवगत है। ऐसा व्यक्ति इस पद पर नियुक्ति की पुष्टि के लिए वैध उम्मीद के सिद्धांत का आह्वान नहीं कर सकता है, जब चयन के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करके और संबंधित मामलों में लोक सेवा आयोग के परामर्श से ही इस पद पर नियुक्ति की जा सकती है। इसलिए वैध उम्मीदों के सिद्धांत को अस्थायी, संविदात्मक या अनौपचारिक कर्मचारियों द्वारा सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है....."

22. राज्य समिति ने सभी नियुक्तियों और जाली दस्तावेजों और अनियमित नियुक्तियों के आधार पर अलग-अलग की गई नियुक्तियों की जांच की है। एक बार जब प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता की जांच करते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है, और जब अश्विनी कुमार और उमा देवी के मामले में इस अदालत का निर्णय कर्मचारियों के खिलाफ प्रश्नों का निर्णायक उत्तर देता है, तो उठाये गए तर्कों पर आगे कोई चर्चा नहीं बचेगी। हालाँकि चूंकि मामलों के तीसरे संवर्ग अर्थात् ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई नियुक्तियों

के संबंध में बहस में गई है जो नियुक्तियां निर्माण के लिए सक्षम नहीं था, इसलिए हम इस बात पर विचार करेंगे कि ऐसी नियुक्तियों का क्या प्रभाव होगा।

23. राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री मुखर्जी ने समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न सरकारी आदेशों का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि ऐसे प्रवर्ग में दो समूहों में जांच की में जानी है-एक जहां नियुक्तियां अक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई थीं और दूसरा, सक्षम अधिकारी द्वारा की गई नियुक्तियां, लेकिन किसी स्वीकृत पद के बिना और सार्वजनिक पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया का पालन किए बिना।

24. यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य में कक्षा III और कक्षा IV श्रेणियों में नियुक्ति के लिए संविधान के लेख 309 के नियम के संदर्भ में कोई वैधानिक नियम नहीं है। मामले की नियुक्ति का मामला कार्यकारी निर्देशों द्वारा विनियमित किया जाता है। श्री मुखर्जी ने बिहार स्वास्थ्य नियमावली का उल्लेख किया है। नियमावली का अध्याय 1 राज्य के स्वास्थ्य विभाग के संगठन और कार्यों से संबंधित है। यह बताया गया कि 1 मई, 1953 से, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य विभागों को स्वास्थ्य सेवा के निदेशक के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग नामक एक विभाग में मिला दिया गया था। यह बताया गया कि स्वास्थ्य सेवा निदेशक अधीनस्थ चिकित्सा सेवा सहित विभाग में सभी अराजपत्रित नियुक्तियों के संबंध में नियुक्ति करने के अधिकारी है। निदेशक की सहायता के लिए, स्वास्थ्य सेवा के सहायक निदेशकों (एम. और सी. एच.) सहित अन्य राजपत्रित अधिकारियों के साथ एक अपर निदेशक और तीन उप निदेशक हैं। नियमावली का उपयुक्त सार इस प्रकार है:

“2. - मुख्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां।

(क) स्वास्थ्य सेवा निदेशक बिहार की शक्तियां.

3. स्वास्थ्य सेवा निदेशक अधीनस्थ चिकित्सा सेवा सहित विभाग में सभी अराजपत्रित नियुक्तियों के संबंध में नियुक्ति करने का अधिकारी है।

(संख्या 7759, दिनांक 9 जून, 1916)

6. संबंधित संहिताओं, नियमों और आदेशों के अंतर्गत विभाग के प्रधान होने के नाते स्वास्थ्य सेवा निदेशक को निम्नलिखित शक्तियां भी सौंपी गई हैं:-

क्रम संख्या	शक्ति की प्रकृति	नियमों या आदेशों का संदर्भ	शक्ति की सीमा
1.		xxx	
2.	विवरण में परिवर्तन करने की शक्ति अर्थात् , वेतन की दर, कर्मचारी की संख्या और अस्थायी प्रतिष्ठान के रोज़गार की अवधि।	पैरा 103, बिहार और उड़ीसा कोषागार नियमावली।	प्रतिनिधायन निम्नलिखित शर्तों के का विषय है: (1) स्वीकृत कुल राशि से अधिक लागत नहीं उठाया जानी चाहिए। (2) जहां अस्थायी प्रतिष्ठान राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया जाता है, वहां किसी भी पद का वेतन निर्धारित वेतनमान की न्यूनतम सीमा से अधिक नहीं उठाया जाना चाहिए। (3) अन्य मामलों में किसी भी पद का वेतन अस्थायी प्रतिष्ठान को स्वीकृति देने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्त स्वीकृति की सीमा से अधिक नहीं उठाया जाना चाहिए।

		XXX	
47.	अस्थायी रूप से कार्य करने या एक समय में एक से अधिक पद पर कार्य करने के लिए किसी सरकारी नौकर को नियुक्त करने की शक्ति।	बिहार सेवा संहिता का नियम 103।	पूर्ण शक्ति बशर्ते कि ऐसी शक्ति का विस्तार केवल उन मामलों में होगा जिनमें वह संबंधित पदों में से प्रत्येक पर मूल नियुक्ति करने के लिए सक्षम है।

25. नियमावली के खंड 7 में स्वास्थ्य सेवा के उप निदेशक की शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जबकि खंड 8 में स्वास्थ्य सेवा (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के उप निदेशक की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। स्वास्थ्य सेवा के सहायक निदेशक की शक्तियां खंड 9 में निहित हैं जो निम्नानुसार हैं:

“9. स्वास्थ्य सेवा सहायक निदेशक (प्रशासन), बिहार को निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं:-

(क) अपने पर्यवेक्षण में स्वास्थ्य सेवा के निदेशक के लिए और उनकी ओर से अधीनस्थ कार्यालयों, महालेखाकार, बिहार, सरकारी विभागों और अन्य कार्यालयों के साथ सभी पत्राचार से निपटना और उन पर हस्ताक्षर करना।

(ख) स्वास्थ्य सेवा निदेशक अंतर्गत कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों के सभी यात्रा भत्ता बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करना।

(ग) मुफासिल कार्यालयों से स्वास्थ्य सेवा निदेशक के कार्यालय में प्राप्त फार्मों और स्टेशनरी के सभी अभिप्रायों को पारित करना और हस्ताक्षर करना लेकिन 5 प्रतिशत

से अधिक की कटौती या वृद्धि की स्थिति में स्वास्थ्य सेवा निदेशक की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

(घ) मुख्यालय कार्यालय या मफस्सिल कार्यालयों के लिए किसी भी एक मद पर 20 रुपये जो निम्न से अधिक नहीं है की आकस्मिक वस्तुओं की सभी स्थानीय खरीद को स्वीकृति देना।

(सरकारीआदेश संख्या 262/एचडी, दिनांक 13 जुलाई, 1953)"

26. जिलों में असैनिक शल्य चिकित्सक और राज्य कुष्ठ पदाधिकारी और टी बी प्रदर्शन केन्द्र के निदेशक स्वास्थ्य सेवा के निदेशक के अधीनस्थ हैं। लोक स्वास्थ्य सहायक निदेशक की शक्तियां निम्नानुसार हैं:

"13. लोक स्वास्थ्य के सहायक निदेशकों को शक्तियां -

(क) .xxx

(ख) xxx

(ग) स्वास्थ्य सहायकों और वैक्सीनेटरों सहश अराजपत्रित महामारी कर्मचारियों को उनके संबंधित प्रभागों में स्वीकृत पदों के लिए भर्ती करना। महामारी डॉक्टरों की नियुक्ति आमतौर पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा की जाएगी, लेकिन आपातकाल के मामले में लोक स्वास्थ्य के सहायक निदेशकों को उन्हें स्वीकृत पदों के लिए नियुक्त करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि बाद में तीन महीने के भीतर निदेशालय की मंजूरी ली जाए।

(सरकार ने डा.आदेश संख्या 27680-एच दिनांक 1 नवंबर, 1954)। "

27. राज्य द्वारा 5 सितंबर, 1979 को तदर्थ आधार पर श्रेणी III और IV के अस्थायी पदों पर नियुक्त सरकारी/अर्ध-सरकारी कर्मचारियों की छंटनी के संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया था। फिर, 3 दिसंबर, 1980 को श्रेणी III और IV पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए अलग-अलग परिपत्र जारी किए गए। श्रेणी III पदों के संबंध में नियुक्ति करने के लिए सक्षम व्यक्ति का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त खंड निम्नानुसार है:

“(ख) सचिवालय और संलग्न कार्यालयों के सक्षम अधिकार, जिला समाहर्ता और अन्य विभागों के संभागीय कार्यालयों के समकक्ष प्रभारी पदाधिकारी वर्ष के दौरान वास्तव में भरे जाने वाले पदों के लिए संलग्न कार्यालयों से वर्ष के शुरुआत में जानकारी लेंगे तथा रिक्तियों की जानकारी एकत्र करेंगे। इन आवेदकों में से योग्य उम्मीदवारों का चयन रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार सामान्य योग्यता सूची से उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति विभिन्न संलग्न कार्यालयों में आवंटित की जाएगा। सभी नियुक्तियां सक्षम अधिकार द्वारा उनके संबंधित कार्यालयों के लिए की जाएंगी।

XX

XX

XX

(ई) (i) सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में योग्यता सूची तैयार करने के लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी और संलग्न प्रतिष्ठान का प्रधान इस समिति का अध्यक्ष होगा और कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी समिति का सदस्य होगा, जिन्हें प्रतिष्ठान प्रधान द्वारा नामित किया जाएगा। विभाग में उपलब्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी दूसरे सदस्य होंगे यदि ऐसा पदाधिकारी उपलब्ध नहीं है, यदि उस श्रेणी का पदाधिकारी किसी अन्य विभाग में उपलब्ध है, तो उसे समिति में शामिल किया जाएगा और यदि यह भी संभव नहीं है, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति से संबंधित कार्य संपन्न करने वाले कार्मिक विभाग के संयुक्त/उप सचिव को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(ii) जिला स्तर पर योग्यता सूची तैयार करने के लिए, संबंधित प्रतिष्ठान के जिला प्रधान गठित चयन समिति के अध्यक्ष होंगे और उस प्रतिष्ठान का कोई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, जिन्हें उनके जिला स्तर के प्रधान द्वारा नामित किया जाएगा, इसके सदस्य होंगे। दूसरा सदस्य जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे ताकि योग्यता सूची तैयार करते समय सरकारी आदेशों के पालन में कोई उल्लंघन न हो।

XX

XX

XX

(3) सरकार के ज्ञान में आया है कि श्रेणी 3 के पदों पर नियुक्तियां उपरोक्त प्रस्ताव की प्रक्रिया के अनुसार नहीं की जा रही हैं। निर्धारित प्रक्रिया के खिलाफ कार्य करने का स्पष्ट अर्थ है सरकारी आदेशों का उल्लंघन, जो खेद का विषय है। इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि श्रेणी 3 के पदों पर नियुक्तियां उपर्युक्त प्रस्ताव की संकल्प प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी। प्रत्येक नियुक्ति करने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि श्रेणी 3 के पदों पर नियुक्ति के संबंध में प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाए। यदि यह पाया जाता है कि श्रेणी 3 के पदों पर नियुक्ति में संबंध में नियुक्ति करने वाले अधिकारी अधिकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, तो सरकार को उसमें खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करनी होगी। शिकायत प्राप्त होने पर तुरंत जांच की जाएगी कि पदाधिकारी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और यदि आरोप सत्य साबित होता है, तो पदाधिकारी को तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा और उसे सेवा से निकालने के लिए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ऐसी गलत नियुक्तियां तुरंत रद्द कर दी जाएंगी।"

28. चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति के संबंध में समान परिपत्र है। 20 जनवरी, 1992 को राज्य ने स्वास्थ्य विभाग के तृतीय और चतुर्थ कक्षा कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन के बारे में एक परिपत्र जारी किया और यह निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों का विकेंद्रीकरण जिला स्तर पर किया जाएगा। यह सूचित किया गया कि जहां तक संभव हो स्थानांतरण और पदस्थापन की नियुक्ति पदाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। उक्त परिपत्र का खंड 3 और 6 इस प्रकार है:

“3. स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए नियुक्ति अधिकारियों का संक्षेप में उल्लेख नीचे किया गया है:

(क) असैनिक शल्य-चिकित्सक-जिला कक्षा III और IV के कर्मचारियों के लिए (वरीय कक्षा से नीचे) और ए. एन. एम.

(ख) अधीक्षक, चिकित्सा कॉलेज अस्पताल-चिकित्सा कॉलेज अस्पताल में तैनात कक्षा III और IV कर्मचारियों के लिए।

(ग) राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (मलेरिया, टीबी, कुष्ठ रोग, विफलता)-राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ कक्षा के कर्मचारी।

(घ) प्रधान निदेशक लोक सेवाएँ:- निम्न और उच्च संवर्ग लिपिक ए ग्रेड नर्स, एल एच एक्स एक्स एक्स दाई, अधीक्षक, लोक स्वास्थ्य परिचारिका, सेनेटरी इंस्पेक्टर, प्रयोगशाला सहायक, एक्स-रे तकनीशियन फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, नेत्र सहायक, ब्रॉडकास्ट ट्रेनर, हेल्थ ट्रेनर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मास मीडिया अफसर, स्टेनोग्राफर, कॉलरा वर्कर, विशेष कॉलरा वर्कर, मूवी प्लेयर आदि।”

6. उपर्युक्त आधार पर, पहले के सभी आदेशों को निम्नलिखित आदेश द्वारा अधिक्रमित कर दिया जाता है:

(क) असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का संवर्ग जिला स्तर का होगा। इसमें क्षेत्रीय उप निदेशक कार्यालय के कर्मचारी शामिल होंगे।

XX

XX

XX

(ज) असैनिक शल्य चिकित्सक तृतीय और चतुर्थ कक्षा के उन कर्मचारियों का स्थानांतरण/पदस्थापन करेंगे जिनके लिए वह मूल नियुक्ति अफसर है। इस तरह का स्थानांतरण और पदस्थापन जिले के भीतर की जाएगी।"

29. उपरोक्त परिपत्रों और सरकारी आदेशों के आधार पर, यह तर्क दिया जाता है कि तृतीय कक्षा और चतुर्थ कक्षा के पदों पर नियुक्ति करने वाले अधिकारी स्वास्थ्य सेवा के निदेशक हैं। हालाँकि कुछ अन्य प्रशासनिक मामलों के संबंध में कुछ प्रत्यायोजन था, लेकिन कक्षा III और कक्षा IV श्रेणी के पदों के खिलाफ नियुक्ति के संबंध में कोई प्रत्यायोजन नहीं था। बिहार स्वास्थ्य नियमावली के अध्याय 1 के खण्ड 13 (सी) के संदर्भ में सहायक निदेशक को प्रदत्त शक्तियां सहायक निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य) को स्वास्थ्य सहायकों और वैक्सीनेटरों जैसे अराजपत्रित महामारी कर्मचारियों को स्वीकृत पदों पर नियुक्त करने का अधिकार देती हैं, लेकिन केवल आपातकाल स्थिति में। **अश्विनी कुमार** के मामले में एक निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि 2250 पदों को मंजूरी दी गई थी, जबकि 6000 नियुक्तियां की गई थीं। 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत तपेदिक उन्मूलन एक आपातकाल गतिविधि नहीं थी जो सहायक निदेशक को बड़ी संख्या में नियुक्तियां करने के लिए सशक्त कर सकती है, लेकिन फिर भी इस तरह की आकस्मिक शक्तियों का उपयोग केवल स्वीकृत पदों के संबंध में किया जा सकता है।

30. नियुक्ति अधिकार के संबंध में अपवाद दिनांक 3 दिसंबर, 1980 के परिपत्र के साथ आया, जिसमें विचार किया गया था कि सचिवालय और संबंधित कार्यालयों के सक्षम पदाधिकारी, जिला समाहर्ता और समकक्ष प्रभारी द्वारा सामान्य मेधा सूची से आवश्यकता के

अनुसार उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। स्वास्थ्य निदेशालय के अधीनस्थ सेवा में उप निदेशक डॉ. मलिक नियमावली के प्रावधानों के साथ-साथ इस अदालत द्वारा **अश्वनी कुमार** के मामले के संदर्भ में 3 दिसंबर, 1980 को दर्ज परिपत्र के अनुसार भी श्रेणी III या श्रेणी IV के पदों के लिए नियुक्तियां करने के लिए सक्षम नहीं थे।

31. यद्यपि कुछ नियुक्तियां असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा की गई हैं जिन पर श्री मुखर्जी विवाद नहीं करते हैं क्योंकि वे सक्षम अधिकारी थे किंतु यह तर्क दिया जाता है कि सार्वजनिक पद को भरने के लिए किसी भी अपेक्षा का पालन नहीं किया गया था। बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए और बिना किसी स्वीकृत पद के सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां की गईं।

32. कर्मचारियों के विद्वत अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि कुछ नियुक्तियां क्षेत्रीय उप निदेशक द्वारा की गई हैं क्योंकि सहायक निदेशक के चार पदों को क्षेत्रीय उप निदेशक के पदों में परिवर्तित कर दिया गया था। हमें उक्त तर्क में कोई औचित्य नहीं दिखता। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में सहायक निदेशक का पद दिया गया था जिसमें स्वीकृत पदों पर आपात स्थिति के अलावा नियुक्ति का प्रत्यायोजन नहीं थी। श्रेणी III और श्रेणी IV के पदों के लिए उस तरह के क्षेत्रीय उप निदेशक को नियुक्ति करने का अधिकार प्रदत्त नहीं है। इसलिए सहायक निदेशक आकस्मिक मामलों को छोड़कर स्वीकृत पदों के लिए नियुक्तियां करने में अक्षम था और क्षेत्रीय उप निदेशक भी।

33. **अश्वनी कुमार** के मामले में इस अदालत ने स्वास्थ्य विभाग में ही तृतीय और चतुर्थ कक्षा के पदों के लिए की गई नियुक्तियों पर विचार किया है। इसमें दर्ज विचार यह है कि नियुक्तियां स्वीकृत पदों के खिलाफ नहीं की गई हैं और इस तरह से की गई हैं, जो पूर्ण से निरंकुश एवं मनमाना है और इसलिए कर्मचारियों को अपनी सेवा को नियमित करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

34. 2012 की विशेष अवकाश याचिका (सिविल) संख्या 20033 से उत्पन्न सिविल अपील में प्रतिवादी को डॉ. ए. ए. मलिक द्वारा नियुक्त किया गया था। इस अदालत ने **अश्विनी कुमार** के मामले में ऐसी नियुक्तियों को गैरकानूनी पाया है। हम पाते हैं कि डॉ. ए. ए. मलिक द्वारा की गई नियुक्तियों पर पुनर्विचार करने का कोई कारण नहीं है। **अश्विनी कुमार** के मामला में ऐसी नियुक्तियों पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। इसलिए प्रतिवादी पक्ष में कोई अधिकार उपार्जित नहीं होगा। नतीजतन, 2012 की विशेष अवकाश याचिका (सिविल) संख्या 20033 से उत्पन्न अपील स्वीकृत की जाती है और हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश रद्द किया जाता है।

35. अंत में, यह तर्क दिया जाता है कि कर्मचारी कई वर्षों से काम कर रहे हैं, कुछ कर्मचारी 25 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं, इसलिए, इस सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द करने के लिए और उनकी सेवा को नियमित करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। ताकि वे पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अधिकारी बन सकें।

36. हमें उक्त तर्क में कोई औचित्य नहीं पाते हैं। **रीता मिश्रा और अन्य बनाम निदेशक प्राथमिकी शिक्षा, बिहार और अन्य** के मामले में हाईकोर्ट की एक पूर्ण पीठ ने इस तथ्य के बावजूद कि शिक्षा विभाग में नियुक्ति पत्र जाली, धोखाधड़ी या गैरकानूनी था, वेतन का दावा करने वाले इस तरह के दावे को अस्वीकार कर दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि जिस पद के लिए वेतन का दावा किया जाता है, उस पद पर वैध रूप से बने रहने के कानूनी अधिकार प्राप्त हो। ऐसे पद पर नियुक्ति के अनुवर्ती यह एक अधिकार है। इसलिए जहां मूल अस्तित्व में नहीं है, वहां वेतन के दावा के रूप में इसमें कोई शाखा अस्तित्व में नहीं रह सकती। लोक सेवा में वेतन, पेंशन और अन्य सेवा लाभों के अधिकार पूरी तरह से वैधानिक हैं। इसलिए, वेतन के अधिकार सहित ये अधिकार पद पर वैध और कानूनी नियुक्ति से प्राप्त होते हैं। एक बार जब यह पाया जाता है कि नियुक्ति गैरकानूनी है और

कानून की नजर में अस्तित्वहीन है, तो वेतन या पेंशन और अन्य मौद्रिक लाभों के परिणामी अधिकारों के लिए कोई वैधानिक हकदार नहीं हो सकता है।

37. पूर्ण न्यायपीठ के ऐसे निर्णय को इस अदालत के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने आर. विश्वनाथ पिल्लई बनाम केरल राज्य और अन्य वाले मामले में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय में अनुमोदित किया था। इस अदालत ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया:

“17. रीता मिश्रा बनाम निदेशक प्राथमिक शिक्षा, बिहार [ए. आई. आर. 1988 पैट 26:1988 लैब आईसी 907 1987 बी बी सी जे 701:(एफ बी) के मामले में की गई जब पटना उच्च न्यायालयपूर्ण न्यायपीठ के समक्ष यह सवाल उठाया गया कि क्या कोई जनता नौकर इस तथ्य के बावजूद कि उसकी नियुक्ति का पत्र जाली, धोखाधड़ी या गैरकानूनी था, किए गए कार्य के लिए उसे वेतन का भुगतान करने का अधिकारी था। पूर्ण न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया:(ए. आई. आर. पृष्ठ 32, पैरा 13)

"13. उपरोक्त से यह सुस्पष्ट है कि वेतन, पेंशन और अन्य सेवा लाभों के अधिकार लोक सेवा में पूरी तरह से वैधानिक प्रकृति के हैं। इसलिए वेतन के अधिकार सहित ये अधिकार पद पर वैध और कानूनी नियुक्ति से प्राप्त होते हैं। एक बार जब यह पाया जाता है कि नियुक्ति गैरकानूनी है और कानून की नजर में अस्तित्वहीन है, तो वेतन या पेंशन और अन्य मौद्रिक लाभों के अहम अधिकार के लिए कोई वैधानिक पात्रता उत्पन्न नहीं हो सकती है। विशिष्ट रूप से, यदि नियुक्ति जालसाजी पर आधारित है, तो इससे कोई वैधानिक प्राप्त नहीं हो सकता है।"

18. हम उपर्युक्त मामलों में पटना हाईकोर्ट द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं। "

38. इन नियुक्तियों की जांच पांच सदस्यीय समिति द्वारा की गई है। 91 उम्मीदवारों के साथ अनियमित नियुक्ति का मामला पाया गया है। ऐसे उम्मीदवार सेवा में बने हुए हैं। अपीलों के वर्तमान समूह में से कोई भी उम्मीदवार यह नहीं बता सकता है कि उन्हें सार्वजनिक नियुक्ति के खाली पद को भरने के लिए अर्थात् सभी पात्र उम्मीदवारों को विज्ञापन और आवेदन करने का अवसर देकर।

39. यह अदालत झारखंड राज्य और अन्य बनाम मानशु कुंभकार और अन्य के मामले में राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए पाया कि प्रतिवादी नियोजनालय द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया था.कोई विज्ञापन नहीं दिया गया था और चयन करने के लिए कोई अच्छी तरह से समिति भी गठित नहीं की गई थी।

40. बिहार राज्य बनाम उपेंद्र नारायण सिंह में मामले में इस न्यायालय ने राज्य के अपील को स्वीकार कर लिया और यह कि नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के खंड 4 राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक प्रतिष्ठान या उसके एक हिस्से में नियोक्ता पर यह कर्तव्य डालती है कि वह प्रत्येक रिक्ति को भरने से पहले नियोजनालय को अधिसूचित करें।

41. इस अदालत ने भारत संघ और एक अन्य बनाम रघुवर पाल सिंह वाले मामले में सिंह एक मामला की जांच कर रहे थे, जहां नियुक्ति पत्र सक्षम अधिकार के अनुमोदन के बिना जारी किया गया था, तो क्या प्रतिवादी को जारी किया गया ऐसा नियुक्ति पत्र अकृतता का मामला होगा या केवल अनियमितता का मामला होगा?यदि यह अकृतता का मामला है, तो यह पदधारी को अवसर प्रदान करना केवल एक औपचारिकता होगी और अवसर प्रदान न करने से उसकी सेवा की समाप्ति के अंतिम फैसला को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि सक्षम अधिकार के पूर्व अनुमोदन की अनुपस्थिति में, प्रभारी

निदेशक नियुक्ति पत्र को शीघ्र जारी नहीं कर सकते थे.इसलिए निदेशक प्रभारी के कार्य और चूक कार्य में अधिकार की कमी और कानून की अकृतता के कारण नुकसान होगा।

42. निधि कैम और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य एक तीन न्यायाधीशों की पीठ गैरकानूनी और अनुचित प्रवेश प्रक्रिया के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर विचार कर रही थी। अदालत ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया:

“92.उपर्युक्त प्रस्तुति पर पूरी बारीकी से सोच-विचार करने के बाद, हमारा सोच-विचार है कि अपीलकर्ताओं को अधिकार या लाभ प्रदान करना, जिन्होंने जानबूझकर एक सुसोच-विचारित योजना में भाग लिया था, और एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से निर्धारित मानदंडों को पार करने के लिए, अनुचित के कारण का समर्थन करना होगा। यह एक चोर को चोरी की गई संपत्ति को अपने पास रखने की अनुमति देने पसंद प्रतीत होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय उन लोगों के हित का समर्थन नहीं कर रहा है जिन्होंने उचित साधनों को अपनाया था और उनका अनुसरण किया था। इस तरह के पाठ्यक्रम से लोग न्याय प्रदान करने वाली प्रणाली की साख पर ही सवाल उठा सकते हैं। अपीलार्थियों की ओर से सुझाई गई रीति के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग निश्चित रूप से अपवित्र पक्ष में न्यायालय के समर्थन को दर्शाता है। यह शैक्षणिक सम्बन्धी समुदाय की अखंडता के साथ भी समझौता करेगा। हमारा विचार है कि पूर्ण न्याय करने के नाम पर ऐसा नहीं है इस अदालत के लिए अपीलकर्ताओं की दूषित कार्रवाइयों का समर्थन करना संभव नहीं है जिसके द्वारा उन्होंने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया।

94.उन स्थितियों में भी जहाँ एक किशोर अपराध में लिप्त होते हैं, उसे मुकदमें का सामना करना पड़ता है और वह वैधानिक परिणामों के अधीन होता है। कानून के परिणाम होते हैं। और कानून के परिणाम कोई अपवाद नहीं हैं। इस मामले में अपीलकर्ता, उनमें उम्र के बावजूद, प्रवेश में नियमित प्रक्रिया के प्रति सचेत थे.उन्होंने धूर्त तरीकों से इसका उल्लंघन किया। इसलिए उन्हें अपने कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे। यह पहली बार नहीं है कि धोखे के माध्यम से प्राप्त प्रवेश रद्द की जाएंगी। इस अदालत ने गलत दाखिलों की स्थिति से उत्पन्न होने वाले शैक्षणिक लाभों को लगातार रद्द किया है। अपीलार्थियों द्वारा सुझाए गए पैरामीटर पर की गई प्रार्थना की स्वीकृति के परिणामस्वरूप मुद्दे पर बड़ी संख्या में निर्णयों की अनदेखी होगी.अपीलार्थियों के लिए एक अलग पाठ्यक्रम को ग्रहण करना घोषित कानूनी स्थिति को तुच्छ बना देगा.इस संबंध में व्यापम का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है।

XX

XX

XX

XX

XX

XX

108.इस मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ में, संविधान के लेख 142 के अंतर्गत इस अदालत में निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग कर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अपीलकर्ताओं के प्रवेश को वैध बनाना उचित नहीं होगा। हम, इसलिए, अपीलकर्ताओं की ओर से की गई उपरोक्त प्रार्थना को अस्वीकार करते हैं."

43. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक **भारतीय खाद्य निगम और अन्य बनाम जगदीश बलराम बहिरा और अन्य** के मामले में लीन अन्य न्यायाधीशों की खंडपीठ के निर्णय में न्यायालय नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किये गए झूठे जाति प्रमाण पत्र के परिणाम की जाँच कर रहा था। न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया:

“69. इन कारणों से, हम यह अभिनिर्धारित और घोषित करते हैं कि:

XX

XX

XX

69.3 आर. विश्वनाथ पिल्लई अनाम केरल राज्य, (2004) 2 एस. सी. सी. 105:2004 एससीसी (एल एंड एस) 350] में दत्तात्रेय [भारत संघ बनाम दत्तात्रेय, (2008) 4 एससीसी 612:(2008) 2 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 6] जो तीन न्यायाधीशों में न्यायपीठों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, ने कानून के सिद्धांत को अधिकथित किया कि जहां कोई फ़ायदा किसी व्यक्ति द्वारा सुरक्षित किया जाता है- जैसे कि किसी डाक पर नियुक्ति या किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश-इस आधार पर कि उम्मीदवार एक आरक्षित श्रेणी से संबंधित है जिसके लिए फ़ायदा आरक्षित है, वहां सत्यापन पर जाति या जनजाति के दावा के अकानूनमान्य होने का परिणाम, जैसा भी मामला हो, नियुक्ति या प्रवेश को खालीपन या गैर-मान्य माना जाएगा।

XX

XX

XX

69.7 किसी जाति के दावा के आधार पर प्राप्त लाभों का आहरण जो गलत पाया गया है और अमान्य घोषित किया गया है, एक ज़रूरी परिणाम है जो जाति के दावा के अमान्य होने से निस्सरित होता है और भूतलक्षी प्रभाव का कोई मुद्दा पैदा नहीं होगा।”

44. उपर्युक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलों के वर्तमान समूह में कर्मचारियों की नियुक्तियां अनियमित थीं। **उमा देवी** के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुपात में इस तरह की नियुक्तियां गैरकानूनी हैं। इस तरह की नियुक्तियां बिना किसी स्वीकृत पद के बिना, बिना किसी विज्ञापन के सभी पात्र उम्मीदवारों को आवेदन करने और सार्वजनिक रोज़गार प्राप्त करने का अवसर देने और भर्ती की किसी विधि के बिना की गई थीं। ऐसी नियुक्तियां पिछले दरवाजे से में गई थीं, भाई-भतीजावाद

और पक्षपात का कार्य था और इस प्रकार किसी भी अदालती मानक से में गई नियुक्तियों को अनियमित नहीं कहा जा सकता है, किंतु पूर्ण से मनमाना प्रक्रिया में गैरकानूनी नियुक्तियां हैं।

45. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में हम पाते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा 12 जुलाई, 2011 को पारित आदेश या इस प्रकार के अन्य आदेशों को कानून में नहीं टिक सकता है और इस प्रकार, उन्हें रद्द किया जाता है। राज्य द्वारा दायर अपीलों को अनुमति दी जाती है।

46. हमें हाईकोर्ट के 24 सितंबर, 2014 के आदेश में कोई त्रुटियां नहीं पाते हैं और इसलिए आदेश के खिलाफ उम्मीदवारों द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। यदि कोई लंबित आवेदन होगा तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा।

निधि जैन

अपील खारिज